क्रम-संख्या—319

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 19 जुलाई, 1980

आषाढ़ 28, 1902 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-4

संख्या 1901/सत्रह-वि0-1-29/1980

लखनऊ, 19 जुलाई, 1980

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1980 पर दिनांक 18 जुलाई, 1980 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1980 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1980)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) यह 6 मार्च, 1980 को प्रवृत्त समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

मंडी समितियों के प्रशासन के संबंध में अस्थायी उपबन्ध

"2—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1980 के प्रारम्भ के दिनांक से (जिसे आगे उक्त दिनांक कहा गया है) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) के उपबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन निर्वाचित मंडी समिति स्थापित न हो, इसमें जो भी पहले हो, प्रत्येक मंडी क्षेत्र के संबंध में जो उक्त दिनांक को विद्यमान था या उक्त अवधि में घोषित किया जाय निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) उक्त अधिनियम म किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के (जैसा कि वह उक्त दिनांक के ठीक पूर्व था) अधीन गठित प्रत्येक तदर्थ समिति विघटित हो जायेगी और ऐसी समिति क सभापति और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने-अपने पद पर न रह जायेंगे;

(ख) समिति, उसके सभापति तथा उपसभापति के सभी अधिकार, कृत्य और कर्त्तव्य उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट में निहित होंगे जिसमें प्रधान मंडी स्थल स्थित हो और उक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही उनका प्रयोग, निष्पादन तथा पालन किया जायगा और उक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसा भी अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, विधि की दृष्टि में समिति या उसका सभापति या उपसभापति समझा जायगा;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसा जिला मजिस्ट्रेट खंड (ख) द्वारा उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं अधिकारों को, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन जो वह आरोपित करना उचित समझे, अपने द्वारा एतदर्थ विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है;

(घ) राज्य सरकार समय-समय पर गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रासंगिक या आनुषंगिक उपबन्ध, जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुकूलन, परिष्कार या उसके प्रवर्तन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निलंबित करने का उपबन्ध भी है, किन्तु जिससे सार पर प्रभाव न पड़े, बना सकती है, जो उसे पूर्ववर्ती अथवा सम्बद्ध किन्हीं भी प्रयोजनों के लिये आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब भी उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त रक्खी जायगी, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन संबंधित अधिसूचना के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1979 द्वारा या उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1980 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदा से विधिमान्य रही समझी जायगी।

उत्तर अध्या संख्य सन्

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,

सचिव।

No. 1901(2)/XVII-V-1—29-1980

Dated Lucknow, July 19, 1980

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samiti (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 7 of 1980), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 18, 1980:

THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI SAMITIS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 1980

[U. P. Act no. 7 of 1980]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972

It is hereby enacted in the Thirty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 6, 1980.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 7 of 1972.

2. *For* section 2 of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972, the following section shall be *substituted*, namely:—

Temporary provisions regarding administration of Mandi Samitis.

"2. (1) With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1980 (hereinafter referred to as the said date), the provisions of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (hereinafter referred to as the said Adhiniyam) shall, for a period of one year or until the constitution of an elected Mandi Samiti under section 13 of the said Adhiniyam, whichever is earlier, have effect in relation to every market area which existed on the said date or which is declared to be so during the said period, subject to the following provisions, namely—

(*a*) notwithstanding anything contained in the said Adhiniyam, every *ad hoc* committee constituted under this Act (as it existed immediately before the said date), shall stand dissolved, and the Chairman and every other member of such committee shall cease to hold their respective offices ;

(*b*) all powers, functions and duties of the Committee, its Chairman and Vice-Chairman shall be vested in and be exercised, performed and discharged by the District Magistrate of the district in which the Principal Market Yard is situate, and such District Magistrate shall be deemed in law to be the Committee, its Chairman or Vice-Chairman as the occasion may require ;

(*c*) subject to any general or special orders of the State Government, such District Magistrate may delegate, subject to such terms and conditions as he may think fit to impose, all or any of the powers conferred on him by clause (*b*) to any officer to be specified by him in this behalf ;

(*d*) the State Government may from time to time, by notification in the *Gazette*, make such incidental and consequential provisions, including provisions for adapting, modifying or suspending, in whole or in part, the operation of any provisions of the said Adhiniyam, but not affecting the substance, as may appear to it to be necessary or desirable for any of the foregoing or connected purposes.

(2) Every notification issued under clause (*d*) of sub-section (1) shall as soon as may be after it is issued, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of its publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1979, is hereby repealed. U.P. ...nance of 19...

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1972 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhyadesh, 1979 or by the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Samitis (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhad) Adhyadesh, 1980, shall be valid and be deemed always to have been valid.

By order,

R. C. DEO SHARMA,

Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 71 सा० (विधा०)—20-7-80—(1250)—1980—650 (मैक०)।